

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ4(ई)/ (एम-2767 / 2013) / अलेसे-III / 214

दिनांक:- 10/05/22

कार्यालय आदेश

श्रीमती मेघा शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय महाप्रबंधक (प्रशासन), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर के पत्र क्रमांक 742 दिनांक 02.05.2022 द्वारा अग्रेषित आवेदन के अनुसार माह मई 2022 में दिनांक 13.05.2022 से 19.05.2022 तक भ्रमण हेतु दुबई, आबूधाबी जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1 वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगी।
- 2 वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेशप्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन/ फ़ैक्स न.आदि सूचित करेगी।
- 3 विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
- 4 वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा गृहण नहीं करेगी।
- 5 वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेगी।
- 6 वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेगी।
- 7 उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 8 विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा /के माध्यम से कोई व्यय/ विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
- 9 वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगी।
- 10 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगी।
- 11 उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगा।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ4(ई)/ (एम-2767 / 2013) / अलेसे-III / 214
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक:- 10/05/22

- 1 महाप्रबंधक (प्रशासन), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 742 दिनांक 02.05.2022 के क्रम में।
- 2 श्रीमती मेघा शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।



(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)